

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशीयल्स जज	नं० व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तारीख में जारी हुए
	<p style="text-align: center;">न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर अपील संख्या- 37/2013 अंतर्गत धारा-76 एल.आर.एक्ट (GCMS No. 2013/00003)</p> <p>अनवान:</p> <ol style="list-style-type: none"> करनेल सिंह पुत्र मघसिंह जाति सिक्ख निवासी जण्डवाला तहसील फिरोजपुर पंजाब वगैरह। <p style="text-align: center;">बनाम</p> <ol style="list-style-type: none"> गुलाम खां पुत्र स्व. हुसैन खां जाति मुसलमान निवासी महाजन तहसील लूनकरणसर, बीकानेर वगैरह। <hr/> <p>पत्रावली प्रस्तुत हुई। अभिभाषक अपीलांत अनुपस्थित। अभिभाषक अपीलांत एवं अपीलांत को बार-बार आवाज लगाई गई, बार-बार आवाज लगाए जाने के बावजूद न तो अभिभाषक अपीलांत उपस्थित हुए एवं न ही अपीलांत स्वयं उपस्थित हुए। अपीलान्त द्वारा जरिये अभिभाषक न्याय की वांछा लेकर इस न्यायालय में यह अपील प्रस्तुत की गयी, लेकिन अभिभाषक अपीलांत को लगातार पाबन्द करने के बावजूद भी आदिनांक उपस्थित नहीं हुए। न्याय चाहने की तत्परता व कोशिश का अभाव अपील चलाने में अरुचि जाहिर करती है। अतः उक्त अपील अपीलान्त राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 63(1) के तहत अदम हाजरी, अदम पैरवी में खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड मय आदेश की प्रमाणित प्रति प्रेषित होकर पत्रावली सुव्यवस्थित रखी जावे। आदेश सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;">(विश्राम मीना) संभागीय आयुक्त, बीकानेर</p>	



न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर
अपील संख्या- 37/2013 अंतर्गत धारा-76 एल.आर.एक्ट
(GCMS No. 2013/00003)

अनवान:

1. करनेल सिंह पुत्र मघसिंह जाति सिक्ख निवासी जण्डवाला तहसील फिरोजपुर पंजाब वगैरह।

बनाम

1. गुलाम खां पुत्र स्व. हुसैन खां जाति मुसलमान निवासी महाजन तहसील लूनकरणसर, बीकानेर वगैरह।

पत्रावली प्रस्तुत हुई। अभिभाषक अपीलांट अनुपस्थित। अभिभाषक अपीलांट एवं अपीलांट को बार-बार आवाज लगाई गई, बार-बार आवाज लगाए जाने के बावजूद न तो अभिभाषक अपीलांट उपस्थित हुए एवं न ही अपीलांट स्वयं उपस्थित हुए। अपीलान्ट द्वारा जरिये अभिभाषक न्याय की वांछा लेकर इस न्यायालय में यह अपील प्रस्तुत की गयी, लेकिन अभिभाषक अपीलांट को लगातार पाबंद करने के बावजूद भी आदिनांक उपस्थित नहीं हुए। न्याय चाहने की तत्परता व कोशिश का अभाव अपील चलाने में अरुचि जाहिर करती है। अतः उक्त अपील अपीलान्ट राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 63(1) के तहत अदम हाजरी, अदम पैरवी में खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड मय आदेश की प्रमाणित प्रति प्रेषित होकर पत्रावली सुव्यवस्थित रखी जावे। आदेश सुनाया गया।

(विश्राम सीना)
संभागीय आयुक्त,
बीकानेर

